(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या - 115 नई दिल्ली 25 मई 2011

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 वाँ) की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण,कोलकाता पत्तन न्यास(केओपीटी) पर हाल्दिया गोदी परिसर में घाट क्रमांक 12 पर उपयोग करने हेतु हार्बर मोबाइल क्रेन (एचएमसी) के किराया प्रभार निर्धारण के लिए टीएम इंटरनेशनल लॉजिस्टिक लिमिटेड (टीएमआईएलएल) से प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार एततद्वारा निपटाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या. टीएएमपी/26/2008-टीएमआईएलएल

टीएम इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड **आवेदक**

आदेश

(मार्च, 2011 के 25 वें दिन पारित)

यह मामला कोलकाता पत्तन न्यास में हाल्दिया गोदी परिसर में घाट क्रमांक 12 पर उपयोग करने हेतु हार्बर मोबाइल क्रेन (एचएमसी) के किराया प्रभार निर्धारण के लिए दिनांक 29 जुलाई,2008 को टीएम इंटरनेशनल लॉजिस्टिक लिमिटेड से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. हार्बर मोबाईल क्रेन उपयोग करने हेतु किराया प्रभार निर्धारण करने के लिए टीएमआईएलएल का प्रस्ताव टीएमआईएलएल के द्वारा जून 2009 में सामान्य संशोधन के प्रस्ताव को दाखिल करने के पूर्व दाखिल किया गया था। तदनुसार, टीएमआईएलएल ने प्रस्तावित प्रावधानों को दाखिल किए गए सामान्य संशोधन प्रस्ताव में,बाद में, शामिल किया है। यद्यपि, हार्बर मोबाइल क्रेन के उपयोग करने हेतु किराया प्रभार निर्धारण करने के लिए टीएमआईएलएल के प्रस्ताव को अलग से संसाधित किया गया है, यह टीएमआईएलएल के दरमान का एक भाग बनेगा। इस प्रकार,प्रस्ताव को टीएमआईएलएल के सामान्य संशोधन मामले में पारित (किए जानेवाले) आदेश में शामिल किया जाता है।

3. परिणामस्वरुप, हार्बर मोबाइल क्रेन के किराया प्रभार के निर्धारण हेतु टीएमआईएलएल के प्रस्ताव को इनके सामान्य संशोधन मामले में पारित(किए जानेवाले) आदेश की दृष्टि से निपटाया गया समझा जाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा